

## रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों के कर्तव्य (रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 11)

- अ. अपने से उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये उचित आदेशों का तत्परता से अनुपालन करना।
- ब. रेल संपत्ति, यात्री परिसर व यात्रियों को सुरक्षा एवं बचाव प्रदान करना।
- क. रेल संपत्ति, यात्री परिसर व यात्रियों के आवागमन में आनेवाली किसी भी बाधा को दूर करना और
- ड. ऐसा कोई कार्य करना जो रेल संपत्ति, यात्री परिसर व यात्रियों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए बेहतर साबित हो।